उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन,14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 40–विनियम / काविनी–29 / पाकालि / 2015–7विनियम / 88 दिनांक 28 अप्रैल , 2016

विषय :– मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में आशुलिपिक श्रेणी–III एवं कार्यालय सहायक–III के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता के स्थान पर कम्प्यूटर ज्ञान की परीक्षा का प्राविधान करते हुये लिखित परीक्षा प्रक्रिया में संशोधन।

कार्यालय ज्ञाप

"आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन" मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक मे मद संख्या–123(15) पर अनुमोदित प्रस्ताव के अनुपालन मे, विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से आशुलिपिक श्रेणी–III एवं कार्यालय सहायक–III (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) के पद के लिये आयोजित होने वाली सीधी भर्ती हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधीष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली–1970 सपठित कार्यालय ज्ञाप सं0–27 विनियम एवं औ0सं0 / पाकालि / 11–7 विनियम / 88 दिनांक 06 जून 2011 द्वारा निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हता एवं लिखित परीक्षा के प्राविधानों को एतद्द्वारा, निम्नानुसार संशोधित / परिवर्तित किया जाता है :–

1. आशुलिपिक श्रेणी–III

(क) शैक्षिक अर्हता

वर्तमान शैक्षिक अर्हता	संशोधित शैक्षिक अर्हता
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।
(2) "DOEACC" (NIELIT) का "O" level अथवा समकक्ष एक वर्षीय प्रमाण–पत्र।	(2) –विलुप्त–
(3) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।	(3) हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।
(4) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।	(4) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

(ख) लिखित परीक्षा

आशुलिपिक श्रेणी–III के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न–पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "O" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(क्रमशः......2)

Gayatri

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

द्वितीय भाग :

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :-
- (i) सामान्य हिन्दी
- (ii) सामान्य अंग्रेजी
- (iii) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न-पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेगें।

2. **कार्यालय सहायक-III-सीधी भर्ती**

(क) शैक्षिक अर्हता

वर्तमान शैक्षिक अर्हता	प्रस्तावित संशोधित अर्हता
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि।
(2) "DOEACC" (NIELIT) का "O" level अथवा समकक्ष एक वर्षीय प्रमाण-पत्र।	(2) -विलुप्त-
(3) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।	(3) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

(ख) लिखित परीक्षा

कार्यालय सहायक-III के पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र दो भागों का होगा।

प्रथम भाग :

(1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में DOEACC के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 50 प्रश्न होगें। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नही किया जायेगा।

(क्रमशः......3)

द्वितीय भाग :

(1) द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus) निम्नवत होगा :–

(i) सामान्य हिन्दी

(ii) सामान्य अंग्रेजी

(iii) सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान

(2) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न–पत्र में अर्जित अंक श्रेष्ठता (मेरिट) निर्धारण हेतु जोड़े नही जायेगें।

3. उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधीष्ठान (मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली–1970 उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी। विनियमावली के शेष प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

4. उपरोक्त आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 40–(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, बी–17 जे0 रोड, महानगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 01.04.2016 को सम्पन्न 123वीं बैठक के मद सं0–123(15) के सन्दर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi

(गायत्री रस्तोगी)

अनु सचिव (विनियम)